

भाग III

संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
15	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत है।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक (RMSA), जिला बालाघाट म.प्र. द्वारा आवेदित प्रस्ताव क्रमांक/FP/MP/SCH/41392/2019 में आवेदित वनभूमि 0.410 हेक्टे. के संबंध में वनमंडल अधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट द्वारा दी गई अनुशंसा के आधार पर प्रकरण में सहमति प्रदान की जाती है।

तिथि : 30/11/2019

स्थान : बालाघाट।

(नरेन्द्र कुमार सनोडिया)

भा.व.से.

मुख्य वनसंरक्षक

बालाघाट वनवृत्त म.प्र.